अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
हरदोई उ0प्र0।

सेवा में,

निबन्धक
मा0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
लखनऊ उ0प्र0

पत्रांकः 235/जि0उ0आ0/हरदोई/2022 दिनांकः 08,मार्च, 2022

विषयः– जिला उपभोक्ता आयोग, हरदोई हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आपको अवगत कराना है कि मा0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग लखनऊ के पत्रांकः3426/एस.सी.डी.आर.सी./अधि0101/16 दिनांकित 02.12.2021 एवं उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग–2 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना सं0–सी0पी0 480/2021/84–2–2021–सी.एन. 1369528 दिनांक 25.11.2021 के अनुपालन में उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 की धारा–5 के अनुसार इस जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हरदोई हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध किया जाना है। इस संबंध में प्राविधान है कि संबंधित में विज्ञापन को एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाये।

इस संदर्भ में इस जनपद हरदोई के जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से एक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में इस सूचना को प्रकाशित कराने में होने वाले अनुमानित व्यय की जानकारी की गई तो अवगत कराया गया कि इसमें लगभग 1,00,000/–रू0 से अधिक का व्यय होना बताया गया।

अतः उपरोक्त संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि यदि इस संबंध में आवश्यक सूचना को मा0 राज्य आयोग, लखनऊ की वेबसाइट पर अपलोड करा दिया जाये और अत्यंत सूक्ष्म में उपरोक्त दोनों समाचार पत्रों में मात्र इतना प्रकाशित करा दिया जाये कि

आवश्यक सूचना/विज्ञप्ति

"जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हरदोई में मध्यस्थ नियुक्त करने हेतु पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक व्यक्ति मा0 राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0 लखनऊ की वेबसाइट www.scdrc.up.nic.in से समस्त जानकारी डाउनलोड कर या जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हरदोई के कार्यालय से आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त कर अंतिम तिथि 06.04.2022 की सांय तक आवेदन कर सकते हैं।

ऐसा करने पर विज्ञापन अत्यंत सूक्ष्म हो जाने से उस पर आने वाला व्यय न्यून हो जायेगा। इस संबंध में शर्तों एवं आवेदन का प्रारूप तथा अंकित तिथि इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

सधन्यवाद।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हरदोई

भवदीय

08.3.22

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,
हरदोई उ0प्र0

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हरदोई

विज्ञप्ति सं0– ०/ /जि0उ0आ0/हरदोई/2022 दिनांकः०७ मार्च, 2022

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हरदोई से संबद्ध मध्यस्थता प्रकोष्ठ उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थता के लिए मध्यस्थों को एक पैनल तैयार करने का प्रस्ताव करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–2019 उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता नियम–2020 एवं विनिमय–2020 के संदर्भ में पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हों।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हरदोई हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु निम्न व्यक्ति अर्ह होंगेः–

1. उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य
2. सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य
3. दस वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी
4. वकालत में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता
5. भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ पैनलबद्ध मध्यस्थ
6. मध्यकता/सुलह में न्यूनतम 05 वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति
7. न्यूनतम 15 वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हरदोई हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु निम्न व्यक्ति अनर्ह होंगेः–

1. ऐसा व्यक्ति जिसे दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत घोषित किया गया हो।
2. ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, लगाये गये हों और लंबित हों।
3. ऐसा व्यक्ति, जिसे किसी अपराध के लिए दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हेतु सिद्धदोष ठहराया गया हो।
4. ऐसा व्यक्ति जिसके विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई हो और लंबित हो अथवा दण्ड दिया गया हो।

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हरदोई

07-03-2022

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
हरदोई

अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग
हरदोई

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग हरदोई हेतु मध्यस्थ को पैनलबद्ध करने हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूपः–

स्वप्रमाणित/
सत्यापित पासपोर्ट
आकार का फोटो

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में):...
2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में कैपिटल लेटर में):.......................
3. आवेदक के पिता/पति का नाम (हिन्दी में):..............................
4. आवेदक की जन्म तिथिः...
5. आवेदक की शैक्षिक योग्यताः..
6. आवेदक का स्थाई पता (हिन्दी में):..
7. आवेदक का पत्र व्यवहार का पताः..
8. आवेदक का मोबाइल नंबरः..
9. आवेदक की ई–मेल आई0डी0:...
10. आवेदक का वर्तमान व्यवसाय एवं वार्षिक आयः..
11. यदि आवेदक किसी न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी/उपभोक्ता आयोग के सेवानिवृत्त सदस्य/वकालत का दस वर्ष का अनुभव रखने वाला अधिवक्ता/मध्यस्थता/सुलह में न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति/न्यूनतम 15 वर्षो का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी है तो उसका सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें एवं सेवा के अंतिम पद का उल्लेख करें:
12. क्या आवेदक को कभी दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत घोषित किया गया है?:–
13. क्या आवेदक के विरूद्ध किसी दण्ड न्यायालय द्वारा ऐसे आपराधिक आरोप जिसमें नैतिक अधमता शामिल हो, लगाये गये हैं और लंबित हैं?:–
14. क्या आवेदक को किसी अपराध के लिये दण्ड न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त हेतु सिद्धदोष ठहराया गया है?:–
15. क्या आवेदक के विरूद्ध समुचित अनुशासिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ की गई और लंबित है अथवा दण्ड दिया गया है?:–
16. अन्य विवरण यदि कोई होः–..

दिनांक :

स्थान : आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

संलग्नकः

घोषणा–पत्र

एतद्द्वारा मै यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस आवेदन में जो भी सूचनायें अंकित कीं हैं वह सत्य हैं। भविष्य में यदि कोई सूचनायें गलत पाई जातीं हैं तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये।

दिनांक :

स्थान : आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

नोटः 1. आवेदन पत्र दिनांकः 06.04.2022 को सायं 5:00 बजे तक जरिये रजिस्टर्ड पत्र अथवा स्वयं उपस्थित होकर "**कार्यालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हरदोई निकट कोषागार कलेक्ट्रेट परिसर, हरदोई उ0प्र0 241001** में प्रेषित किया जाये। साथ ही इस संबंध में यह भी सूच्य है कि पैनलबद्ध मध्यस्थ को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम–2019 एवं नियम व विनियम–2020 के अनुसार जिला पीठ जिला उपभोक्ता आयोग, हरदोई द्वारा तय मानदेय निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत देय होगा।